न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 84/2024 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती नाथी मीणा पत्नी गणेशलाल जी मीणा, निवासी बंजारिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रकाश मीणा पिता थावरा जी मीणा, निवासी कलालिया, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकरलाल पिता भातु जी मीणा, निवासी घोड़ी, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व प्रा. डिक्री दिनांक 03.01.2020 अंतिम डिक्री दिनांक 13.01.2023 संशोधित डिक्री दिनांक 04.04.2023 उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा प्र.सं. 15/2017

———/———

उपस्थित :– 1– श्री रोशनलाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री लोकेश मेनारिया अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

———::———

निर्णय दिनांक 10–02–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 1584 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि ग्राम बंजरिया, तहसील खेरवाड़ा में स्थित है, जिस पर सभी खातेदारों का संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी में वादी का 3/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा निहित होकर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु प्रतिवादी के मन में खोट आ जाने से अपने हिस्से से अधिक भूमि हड़पना चाहती है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित भूमि का मय व सीमाओं अनुसार हिस्सा विशिष्ठ चिन्हिंत करा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:14 IST
Reason: SelfAttested

मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03–01–2020 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–01–2023 को अंतिम डिक्री एवं दिनांक 04–04–2023 को संशोधित डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 07–05–2024 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट मौके पर आकर कारतामीर करने लगे। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्ट को होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को प्रकरण कैम्प में रखे जाने का कोई नोटिस तामिल नहीं हुआ है, फिर भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति बताते हुए दिनांक 05–09–2018 को अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाब बन्द कर दिया तथा वादी/रेस्पोन्डेन्ट की एकपक्षीय बहस के आधार पर दिनांक 03–01–2020 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जबकि आदेशिका अनुसार दिनांक 11–12–20[illegible] [illegible]रम्भिक डिक्री जारी की गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:14 IST
Reason: SelfAttested

है एवं आदेशिका में कहीं भी निर्णय अलग लिखाये जाने का अंकन नहीं है। बावजूद इसके दिनांक 06–01–2021 को तहसीलदार खेरवाड़ा को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिख दिया एवं एकपक्षीय बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–01–2023 को अंतिम डिक्री जारी कर तत्पश्चात दिनांक 04–04–2023 को संशोधित डिक्री जारी की। उन्होंने यह भी विवेदन किया कि उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 12/2017 में दिनांक 11–09–2019 को दोनों पक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये थे, फिर भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने वाद वर्णित आराजी में से अपना हिस्सा दिनांक 28–09–2022 को विक्रय कर दिया, जो स्थगन आदेश की स्पष्ट अवहेलना है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–01–2020, अंतिम डिक्री दिनांक 13–01–2023 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 04–04–2023 निरस्त की जावें।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि मौके पर अपीलान्ट का पति गणेश उपस्थित था। विक्रय पर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद का है, उस समय स्थगन प्रभाव में नहीं था। धारा 151 के प्रार्थना पत्र में प्रकाश के स्थान पर क्रेता का नाम जुड़वाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व सभी डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक प्रारम्भिक डिक्री का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 11–12–2019 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, किन्तु उक्त आदेशिका में अलग से निर्णय लिखाये जाने का कोई अंकन नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 03–01–2020 का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री संलग्न है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 03–01–2020 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने का अंकन करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 09–05–2020 नियत की गयी है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्प योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, बंटवारा प्रस्ताव पर गणेश के हस्ताक्षर हैं, जिसे रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अपीलान्ट नाथी का पति होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:14 IST
Reason: SelfAttested

बताया गया है, किन्तु अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना प्रकट होता है। तद्नुसार उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री दिनांक 13–01–2023 भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक धारा 151 जा.दी. के आधार पर जारी संशोधित डिक्री का प्रश्न है, उक्त प्रार्थना पत्र की कोई सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादी को दिये बिना एकपक्षीय संशोधित डिक्री जारी कर विक्रेता वादी प्रकाश के स्थान पर क्रेता शंकरलाल का नाम वादी के स्थान पर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जबकि उक्त वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 12/2017 अनुसार दिनांक 11–09–2019 को विवादित आराजी के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्थगन के बावजूद दिनांक 28–09–2022 को वादी द्वारा जो रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है, जिसका कानूनन कोई महत्व नहीं है एवं ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता के पक्ष में किसी प्रकार के हक अधिकारों का सृजन नहीं माना जा सकता। तद्नुसार दिनांक 04–04–2023 को जारी संशोधित डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03–01–2020, अंतिम डिक्री दिनांक 13–01–2023 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 04–04–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/वादी को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04–04–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10–02–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:28:14 IST
Reason: SelfAttested